



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19012022-232744  
CG-DL-E-19012022-232744

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 209]  
No. 209]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 17, 2022/पौष 27, 1943  
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 17, 2022/PAUSHA 27, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2022

**का.आ. 213(अ).**—प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 565 (अ), तारीख 5 फरवरी, 2021, द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को 5 फरवरी, 2021, को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया था;

और, बोर बाघ रिज़र्व वर्धा जिले में 138.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और महाराष्ट्र राज्य में वर्धा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर और नागपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है;

और, महाराष्ट्र सरकार ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38 (v) के प्रावधानों के अधीन राजपत्र अधिसूचना सं. डब्ल्यूएलपी. 0114/सी.आर.26/एफ-1, तारीख 16 अगस्त, 2014 द्वारा बोर बाघ रिज़र्व (बोर वन्यजीव अभयारण्य, नया बोर वन्यजीव अभयारण्य और विस्तृत नया बोर वन्यजीव अभयारण्य) घोषित किया गया, जिसमें महाराष्ट्र राज्य के निम्नलिखित अभयारण्य शामिल हैं, अर्थात्:

- (i) बोर वन्यजीव अभयारण्य (61.10 वर्ग किलोमीटर) वर्धा और नागपुर जिला;
- (ii) नया बोर वन्यजीव अभयारण्य (60.69 वर्ग किलोमीटर) वर्धा और नागपुर जिला;
- (iii) विस्तृत नया बोर वन्यजीव (16.32 वर्ग किलोमीटर) वर्धा और नागपुर जिला है;

और, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने वन्यजीव (संरक्षण), अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38 V के प्रावधानों के अधीन राजपत्र अधिसूचना सं. डब्ल्यूएलपी-0815/सी.आर.261/एफ-1 तारीख 04 दिसंबर, 2015 द्वारा बोर बाघ रिज़र्व (बोर वन्यजीव अभयारण्य, नया बोर वन्यजीव अभयारण्य और विस्तृत नया बोर वन्यजीव अभयारण्य) के 678.15 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को बफर क्षेत्र घोषित किया गया;

और, बोर बाघ रिज़र्व पक्षियों के समृद्ध वास के लिए जाना जाता है इसमें पक्षियों की लगभग 160 प्रजातियां हैं जिनमें प्रवासी और जलपक्षी शामिल हैं और इस क्षेत्र में भारतीय मूल के क्षेत्रीय पक्षियों की संख्या भी अभिलिखित की गई है और इस क्षेत्र में सारस क्रेनस (*एटीगोन एटीगोने*) का प्रजनन होना अभिलिखित किया गया है और इस क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण पक्षियों की प्रजातियां वाइट-रुम्पेड गिद्ध (*जिप्स बेंगालेंसिस*), गोल्डन ओरियोल (*ओरिओलुस कुंडू*), ब्रेन-फिवेर कूकू (*हिड्रोकोक्यक्स वैरिउस*), पैराडिस फ्लाई कैचर (*टेरप्सिफोने पैराडिस*), इगीपतियन गिद्ध (*नेओफरोन पेरचनोपटेरुस*), रेड-हेडेड गिद्ध (*सरकोगयपस कालवुस*), स्टेप्पे ईगल एक्विला (*एक्विला निपलेंसिस*), भारतीय स्पोट्टेड ईगल (*सिलांगा हास्टाटा*), रिवर टर्न स्टेर्ना (*स्टेर्ना औरांटिया*), ब्लैक-हेडेड इबिस (*टरेसकिओमिस मेलोनाकेफालुस*), पेंटेड स्ट्रोक (*मायेस्टेरिया लेउकोकेफला*), वूल्लय नेक्केड स्ट्रोक (*किकोनिया इपिस्कुपुस*), आदि अभिलिखित की गई है;

और, यह क्षेत्र दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों द्वारा बहुत उच्च वनस्पति विविधता का प्रतिनिधित्व करता है और इस क्षेत्र में विद्यमान वनस्पति प्रजातियों में कचनार (*बउहिनिया राकेमोसा*), ओनला (*फयल्लांथुस इम्बलिका*), ऐन (*टेरमिनालिया टोमेंटोसा*), बेहडा (*टेरमिनालिया बेल्लेरिका*), बेल (*एग्ले मार्मेलोस*), बिस्टेंदु (*डिओस्पयरोस मॉंटाना*), चिरोंजी (*बुचानानिया लानजान*), गुलार (*फिकस गलोमेराटा*), हिरदा (*टेर्मिनालिया चेबुला*), कुसुम (*स्वलेचेरा ओलेओसा*), लेंदिया (*लागेस्टोइमिया पर्विफ्लोरा*), पलास (*बुटेसा फरोंदोसा*), सलाई (*बोस्वेल्लिया सेरटाटा*), शिवान (*गमेलिना अरबोरिया*), सूर्या (*क्यलिया क्यलोकारपा*), तेंदु (*डिओस्पयरोस मालानोक्यलोन*), तोनदरी (*केसअरिया टोमेंटोसा*), वारंग (*क्यदिया कलयसिना*), वाईट कुडा (*होलाहर्नेना अंथिडयसेंटेरिका*), आदि शामिल है;

और, बोर बाघ रिज़र्व पक्षियों में स्तनधारियों की 30 प्रजातियों, सरीसृपों की 26 प्रजातियों और उभयचरों की कई प्रजातियों को अभिलिखित किया गया है और यह महत्वपूर्ण लुप्तप्राय और अतिसंवेदनशील वन्यजीव जैसे बाघ (*पेन्थेरा टिगरिस*), तेंदुआ (*पेन्थेरा प्रड्यूस*), आलसी रीछ (*मेलर्सस अरसिनस*), वन्यजीव कुत्ता (*कुओन अल्पिनेस*), फोर होर्नेड-अंटेलोपे (*टेटराकेरुस क्यादरिकोरनिस*), सांभर हिरन (*रुसा यूनीक्लोर*), आदि को भी आश्रय प्रदान करता है;

और, उपर्युक्त अभयारण्य के मानव वास और चल रही विकासात्मक क्रियाकलापों के अत्यंत निकट होने से अभयारण्य के लिए, उचित सुरक्षा उपायों और ऐसे क्रियाकलापों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है;

और, बोर बाघ रिज़र्व के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं पारिस्थितिकी पर्यावरणीय से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, जैव विविधता की दृष्टि सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिला के बोर बाघ रिज़र्व की सीमा के चारों ओर 0.5 किलोमीटर से 26.50 किलोमीटर विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार बोर बाघ रिज़र्व की सीमा के चारों ओर 0.5 किलोमीटर से 26.50 किलोमीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 678.14 वर्ग किलोमीटर है।
- (2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा का विवरण उपाबंध-1 के रूप में संलग्न है।

(3) मुख्य अवस्थानों और भूमि उपयोग पैटर्न के भू-निर्देशांकों के साथ बोर बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मानचित्र **उपाबंध-IIक, उपाबंध-IIख, उपाबंध-IIग और उपाबंध-IIघ** के रूप में संलग्न है।

(4) बोर बाघ रिज़र्व और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध -III** की सारणी क और ख के रूप में संलग्न है।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** में दी गई है।

**2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना—** (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी और राज्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(3) बोर बाघ रिज़र्व का बफर जोन पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भाग बनेगा और आंचलिक महायोजना की तैयारी के दौरान बाघ संरक्षण योजना को भी ध्यान में रखा जाएगा।

(4) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

- (i) वन और वन्यजीव;
- (ii) पर्यावरण;
- (iii) कृषि;
- (iv) राजस्व;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) नगरपालिका;
- (viii) महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में, जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों, का संवर्धन करेगी।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(7) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यांकन करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करने के लिए प्रक्रिया प्रदान की जाएगी और सारणी में सूचीबद्ध पैरा-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(9) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह विस्तारी होगी।

(10) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कृत्यों को करने के लिए राज्य सरकार द्वारा निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) भू-उपयोग.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्को और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन निगरानी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत गृह वास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 में दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अधीन अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के सुधार में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत.- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक झरनों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

(3) पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा;

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी;

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी;

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी;

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी-पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नए होटल या रिजॉर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सरण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सरण, साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सरण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**- ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016, के द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.-** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को निगरानी करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

**4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तृतीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियों के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

## सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	वर्णन
<b>क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप</b>		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	वृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
9.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन प्रतिषिद्ध किया जाएगा। प्रबुद्ध संकेत बोर्ड और होर्डिंग को ग्राम स्थानों और नगरों के अंतर्गत प्रतिषिद्ध किया जाना चाहिए।
10.	नई काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

		तथापि विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग लागू विधि के अनुसार निरंतर बने रहेंगे।
<b>आ. विनियमित क्रियाकलाप</b>		
11.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप होगा।
12.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी: परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
13.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार समय-समय पर यथा संशोधित गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
14.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे।
15.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।



16.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जा सकेगा।
17.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना ।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा ।
19.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस, आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
20.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
21.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
22.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्तारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्तारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनःचक्रण और पुनःउपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण या प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
24.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
25.	फर्मों, निगम और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे ।
26.	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए ।	विनियमित और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
27.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
28.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
29.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।

30.	पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पॉलिथीन बैग के उपयोग की अनुमति होगी: परन्तु यह विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
31.	स्पॉट लाइट और फ्लूडिंग लाइट का उपयोग।	सभी विद्यमान और आगामी संस्थान या उद्योग या पारिस्थितिकी-पर्यटन सुविधाएं अपने परिसर में परिवेश प्रकाश व्यवस्था का उपयोग करेंगी ताकि रात्रिचर वन्यजीव को कोई परेशानी न हो: परन्तु यह कि आपातकालीन संचालन के मामले में और नियमित पैट्रोलिंग के दौरान वन विभाग या सरकारी एजेंसियों या संस्थानों को स्पॉटलाइट्स का उपयोग करने की अनुमति होगी।
<b>इ. संवर्धित क्रियाकलाप</b>		
32.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश, इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	निम्नीकृत भूमि या वन या वास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
42.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

**5. मानीटरी समिति-** केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

1.	जिला कलेक्टर, वर्धा	अध्यक्ष, पदेन;
2.	जिला कलेक्टर वर्धा के प्रतिनिधि, नागपुर	सदस्य;
3.	क्षेत्र निदेशक, बोर बाघ रिज़र्व के एक प्रतिनिधि	सदस्य;
4.	महाराष्ट्र सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में (विरासत संरक्षण सहित) काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों का प्रतिनिधि	सदस्य;

5.	क्षेत्रीय कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
6.	क्षेत्र के ज्येष्ठ नगर नियोजक	सदस्य;
7.	महाराष्ट्र सरकार के पर्यावरण विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
8.	महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामित पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
9.	राज्य जैव विविधता बोर्ड का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
10.	उप वन संरक्षक, नागपुर	सदस्य;
11.	उप वन संरक्षक, वर्धा	सदस्य-सचिव

**6. निर्देश-निबंधन.-** (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटरी करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक किया जाएगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके जो पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध-V में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

**7. अतिरिक्त उपाय.-** इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

**8. उच्चतम न्यायालय, आदि के आदेश.-** इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/18/2020-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

**उपाबंध-1****बोर बाघ रिज़र्व और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण**

**उत्तर :-** रिज़र्व वन कम्पार्टमेंट सं. 146, 152 की सीमा, धामकुंड की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं. 122/2, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.180, पीलापुर, पीपारी, गरपीट की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.132/3, लींग मंडवी, बोरगांव चेक- 1 एवं 2 की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.126/4, सवल की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं. 126/1, 164/3, 164/7, 164/1, अजनदोह की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं. 164/5, 164/4, कन्नमवरग्राम की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.165/2, जौरखेड़ा की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं. 161/1, 160/1, जोगा की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.176/1, 177/1, डोंगरगांव की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.177/2, राहाती की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.178/6, नागाजारी की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.179/4, मसोद की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.70, कम्थी, भोपापुर की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं. 86/4, रिज़र्व वन कम्पार्टमेंट सं.37,34, खैरी – अमगांव, गौराला, गीडामागढ़, अमगांव, देवली (कालाबंदे), डीगदोह की ग्राम सीमा, रिज़र्व वन कम्पार्टमेंट सं. 775, आगरगांव की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.154/4, रिज़र्व वन कम्पार्टमेंट सं.293, 291, 292, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं. 168, 169/4।


**पूर्व:-** रिज़र्व वन कम्पार्टमेंट सं. 299, 300, 302, 308, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.176/1, देगमा (बू) की ग्राम, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं. 183/4, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं. 187/1, 186, कनोलीबारा की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.187/10, 188/5, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं. 189/4, अजनगांव की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं. 255/1, 255/2 सोमालगढ़ की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं. 256, खडकी की ग्राम सीमा।

**दक्षिण:-** अमगांव, केलजर की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं. 254/2, वडगांव की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.253, जूनगढ़ की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं. 252, 249/1, 248/1, 246/2, अकोली, जूनेवन, हीनग्री की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.240/1, डोंगरगांव की ग्राम सीमा, रिज़र्व वन कम्पार्टमेंट सं. 239क, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट 239/1, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं. 241 बीड बोरखेड़ी की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं. 229, 228, 227/1, 227/2, रिज़र्व वन कम्पार्टमेंट सं. 220क, तामासवाडा की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.220/1, 217/1, मदनी की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं. 204, 204/1, 203, मदना, थेका-सवाद की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं. 205, 201, 201/1, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.197/1, सहेली की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.196/3, 196/2, 196/1, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.185/2, 184, 185/1 संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.186, लडगध की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.189/5, 189/6, 189/7, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं. 229, वनरकुंड की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट 198/1, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.191, कचनूर की ग्राम सीमा, मोरंगना की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.192/9।

**पश्चिम:-** तालेगांव, नन्ही, चांदनी, बोथाली, पीम्पलखूटा, गुंदमुंद, महादापुर, खैरवाडा, ब्रह्माणवाडा, की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं. 139/1, 139/2, रिज़र्व वन कम्पार्टमेंट सं.173, पंजरागोंदी की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.138, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.136, बेलारा की ग्राम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्टमेंट सं.135, 134।


उपाबंध-II क

बोर बाघ रिज़र्व के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानचित्र सहित मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक




**उपाबंध- II ख**

**बोर बाघ रिज़र्व के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र**




**उपाबंध-II ग**

**बोर बाघ रिज़र्व के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सैटेलाइट चित्रण**



## उपाबंध- II घ

## बोर बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का मानचित्र



## उपाबंध- III

## सारणी क: बोर बाघ रिज़र्व की सीमा के साथ मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	देशांतर	अक्षांश
क.	78° 36' 04.361" उ	21° 03' 12.340" पू
ख.	78° 37' 28.593" उ	21° 02' 23.123" पू
ग.	78° 38' 47.809" उ	21° 01' 21.641" पू
घ.	78° 40' 24.591" उ	21° 00' 46.362" पू
ङ.	78° 42' 44.463" उ	21° 00' 47.882" पू
च.	78° 43' 40.749" उ	21° 00' 11.235" पू
छ.	78° 45' 17.814" उ	21° 00' 58.679" पू
ज.	78° 46' 21.865" उ	20° 58' 57.148" पू
झ.	78° 47' 09.132" उ	20° 58' 20.469" पू



ज.	78° 47' 01.5816" उ	20° 57' 15.849" पू
ट.	78° 45' 28.024" उ	20° 57' 43.594" पू
ठ.	78° 45' 12.496" उ	20° 55' 35.617" पू
ड.	78° 44' 07.197" उ	20° 55' 44.356" पू
ढ.	78° 43' 56.3071" उ	20° 57' 41.346" पू
ण.	78° 41' 52.717" उ	20° 57' 15.802" पू
त.	78° 40' 16.030" उ	20° 57' 15.802" पू
थ.	78° 39' 31.987" उ	20° 57' 20.182" पू
द.	78° 38' 02.491" उ	20° 57' 31.820" पू
ध.	78° 36' 15.597" उ	20° 56' 50.620" पू
न.	78° 35' 32.875" उ	20° 56' 54.743" पू
न.	78° 34' 33.823" उ	20° 57' 51.185" पू
प.	78° 34' 54.324" उ	20° 58' 56.267" पू
फ.	78° 34' 05.504" उ	21° 00' 06.076" पू
ब.	78° 35' 28.539" उ	21° 01' 26.684" पू
भ.	78° 34' 45.603" उ	21° 02' 39.636" पू
म.	78° 35' 15.208" उ	21° 03' 10.957" पू

सारणी ख: बोर बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के साथ मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	देशांतर	अक्षांश
1.	78° 28' 24.993" उ	21° 06' 07.279" पू
2.	78° 29' 24.993" उ	21° 04' 23.561" पू
3.	78° 32' 01.156" उ	21° 06' 24.493" पू
4.	78° 34' 19.626" उ	21° 05' 55.931" पू
5.	78° 34' 37.474" उ	21° 04' 11.461" पू
6.	78° 37' 51.280" उ	21° 03' 25.673" पू
7.	78° 40' 06.720" उ	21° 04' 57.377" पू
8.	78° 41' 44.468" उ	21° 02' 14.769" पू
9.	78° 44' 55.240" उ	21° 04' 03.609" पू
10.	78° 46' 10.296" उ	21° 02' 20.178" पू
11.	78° 49' 36.111" उ	21° 02' 20.499" पू

12.	78°52' 34.773" उ	21°00' 47.461" पू
13.	78°52' 35.295" उ	20°59' 19.702" पू
14.	78°50' 52.361" उ	20°58' 28.310" पू
15.	78°49' 02.780" उ	20°56' 46.430" पू
16.	78°46' 10.861" उ	20°56' 21.517" पू
17.	78°49' 37.499" उ	20°55' 16.458" पू
18.	78°51' 07.296" उ	20°53' 21.933" पू
19.	78°49' 34.466" उ	20°50' 43.709" पू
20.	78°47' 30.902" उ	20°53' 21.933" पू
21.	78°44' 01.969" उ	20°55' 10.384" पू
22.	78°42' 22.402" उ	20°55' 13.177" पू
23.	78°39' 43.004" उ	20°55' 39.065" पू
24.	78°36' 56.195" उ	20°54' 27.767" पू
25.	78°34' 18.626" उ	20°51' 22.359" पू
26.	78°31' 50.031" उ	20°54' 57.407" पू
27.	78°30' 05.434" उ	20°00' 15.943" पू
28.	78°27' 12.259" उ	20°54' 58.692" पू
29.	78°23' 29.015" उ	20°56' 42.769" पू
30.	78°24' 51.501" उ	20°59' 07.160" पू
31.	78°24' 11.501" उ	20°05' 04.703" पू
32.	78°22' 42.128" उ	21°02' 06.802" पू
33.	78°20' 29.513" उ	20°03' 43.367" पू
34.	78°21' 30.759" उ	21°04' 06.632" पू
35.	78°24' 21.712" उ	20°04' 20.929" पू
36.	78°25' 36.851" उ	21°05' 17.651" पू

## उपाबंध- IV

## पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के मुख्य सीमाओं के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	संभाग का नाम	श्रेणी का नाम	ग्राम का नाम	अक्षांश	देशांतर	
I	वर्धा	खारंगना	तुलाना	उ-78 29 21.697	पू-21 04 11.309	
II		करंजा	बंगादपुर	उ-78 30 48.693	पू-21 03 07.564	
III			भीवापुर	उ-78 30 57.190	पू-21 04 03.443	
IV			राईपुर	उ-78 32 02.910	पू-21 04 00.136	
V			अम्बौरा	उ-78 32 29.117	पू-21 03 04.353	
VI			सिंधीविहिरी	उ-78 33 13.447	पू-21 02 16.864	
VII			बुधलागढ	उ-78 34 00.863	पू-21 03 01.103	
VIII			येनी दोदाका	उ-78 34 23.948	पू-21 02 04.044	
IX			धानोली	उ-78 36 30.536	पू-21 03 36.624	
X			उमारविहिरी	उ-78 36 19.766	पू-21 02 38.168	
XI			कुरहा	उ-78 37 27.784	पू-21 03 42.323	
XII			मेथीरजी	उ-78 38 16.312	पू-21 02 29.118	
XIII			हिंमानी	गराम्पुर	उ-78 39 48.826	पू-21 01 17.608
XIV		वानारविहिरा		उ-78 36 18.347	पू-21 02 36.044	
XV		बोरी		उ-78 42 42.736	पू-20 56 43.064	
XVI		गोहादाकाला		उ-78 41 58.987	पू-20 55 55.068	
XVII		गोहादाखुर्द		उ-78 41 26.572	पू-20 57 09.924	
XVIII		सालइपेवाथ		उ-78 40 45.401	पू-20 56 30.034	
XIX		सोनदी		उ-78 39 47.594	पू-20 56 38.619	
XX		सालाइकाला		उ-78 38 36.738	पू-20 56 28.791	
XXI		दोदकी		उ-78 37 42.513	पू-20 56 21.328	
XXII		अम्गांव		उ-78 36 42.999	पू-20 56 42.14	
XXIII		राईपुर जुंगली		उ-78 35 56.513	पू-21 55 55.935	
XXIV		मेलेगांव थेका		उ-78 34 38.080	पू-20 57 06.913	
XXV		खारंगना		बरम्हांवादा	उ-78 32 57.581	पू-20 56 27.624
XXVI				खापरी	उ-78 31 03.421	पू-20 57 27.822
XXVII				बोरगांव गोन्दी	उ-78 33 41.943	पू-20 57 48.032
XXVIII			सुसुन्द	उ-78 32 33.719	पू-20 58 14.617	
XXIX		करंजा	माराकसुर	उ-78 33 59.767	पू-21 00 48.441	
XXX		खारंगना	धागा	उ-78 28 23.794	पू-21 02 26.405	
XXXI				किनकिघोडा	उ-78 39 43.895	पू-21 04 34.162
XXXII				प्रतापगढ	उ-78 39 32.320	पू-21 03 48.603
XXXIII				धोतीवाडा	उ-78 39 46.419	पू-21 02 33.263

XXXIV	नागपुर	हिंगना	खापा	उ-78 41 01.776	पू-21 02 53.356
XXXV			गोथानगांव	उ-78 42 20.307	पू-21 01 38.549
XXXVI			अदेगांव	उ-78 44 30.529	पू-21 00 48.111
XXXVII			खापा खुर्द	उ-78 45 32.390	पू-21 01 51.514
XXXVIII			खापा निपानी	उ-78 45 32.390	पू-21 01 51.514
XXXIX			खापा खोरी	उ-78 44 03.311	पू-21 03 06.671
XL			मोहगांव (धोले)	उ-78 46 05.311	पू-21 01 20.418
XLI			येरानगांव	उ-78 48 52.820	पू-21 02 42.415
XLII			देगमा खुर्द	उ-78 50 50.265	पू-21 01 48.402
XLIII			कवादास	उ-78 48 40.217	पू-21 01 01.445
XLIV			धानोली	उ-78 36 30.536	पू-21 03 36.624
XLV			नावेगांव	उ-78 47 55.861	पू-21 59 15.302
XLVI			कोकरदी	उ-78 50 28.938	पू-21 58 58.352
XLVII			येतेवाही	उ-78 49 09.196	पू-21 58 04.884
XLVIII	कजाली	उ-78 48 16.781	पू-21 57 21.705		
XLIX	पेनधारी	उ-78 46 55.188	पू-21 57 06.548		
L	नागपुर	हिंगना	देओली	उ-78 47 23.219	पू-21 56 07.062
LI			सावली	उ-78 49 42.581	पू-21 54 45.740
LII			अलेसुर	उ-78 49 19.178	पू-21 54 09.147
LIII			बिबी	उ-78 49 05.128	पू-21 54 16.272
LIV			चाउकी	उ-78 47 30.070	पू-21 54 56.606

**उपाबंध -V****की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान: पर्यावरण संवेदी जोन की मानीटरी समिति**

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में संलग्न करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) । ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th January, 2022

**S.O. 213(E).**—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 565 (E), dated the 5<sup>th</sup> February 2021, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

**AND WHEREAS**, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 5<sup>th</sup> February, 2021;

**AND WHEREAS**, objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification were duly considered by the Central Government;

**AND WHEREAS**, Bor Tiger Reserve is spread over an area of 138.11 square kilometers in the Wardha district and is located 40 kilometers away from Wardha district headquarters and 65 kilometers away from Nagpur in the State of Maharashtra;

**AND WHEREAS**, Government of Maharashtra *vide* its Gazette notification number WLP. 0114/C.R.26/F-1, dated the 16<sup>th</sup> August, 2014; has declared Bor Tiger Reserve (Bor Wildlife Sanctuary, New Bor Wildlife Sanctuary and Extended New Bor Wildlife Sanctuary) under the provisions of section 38 V of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) comprising of the following Sanctuaries in the state of Maharashtra, namely :-

- (i) Bor Wildlife Sanctuary (61.10 square kilometre) District Wardha and Nagpur;
- (ii) New Bor Wildlife Sanctuary (60.69 square kilometre) District Wardha and Nagpur;
- (iii) Extended New Bor Wildlife Sanctuary (16.32 square kilometre) District Wardha and Nagpur;

**AND WHEREAS**, the State Government of Maharashtra *vide* its Gazette notification number WLP-0815/C.R.261/F-1 dated the 04<sup>th</sup> December, 2015 declared 678.14 square kilometer as the buffer area of Bor Tiger Reserve (Bor Wildlife Sanctuary, New Bor Wildlife Sanctuary & Extended New Bor Wildlife Sanctuary) under the provisions of section 38 V of Wildlife (Protection), Act, 1972 (53 of 1972);

**AND WHEREAS**, the Bor Tiger Reserve is known to harbor rich avi-fauna with about 160 species of birds including migratory and water birds and a number of territorial birds of Indian origin are also recorded from the area and the breeding of saras cranes (*Antigone antigone*) have been recorded from this region and some important birds species recorded from the area are white-rumped vulture (*Gyps bengalensis*), golden oriole (*Oriolus kundoo*), brain-fever cuckoo (*Hierococcyx varius*), paradise fly catcher (*Terpsiphone paradise*), Egyptian vulture (*Neophron percnopterus*), red-headed vulture (*Sarcogyps calvus*), steppe eagle aquila (*Aquila nipalensis*), Indian spotted eagle (*Clanga hastata*), river tern sterna (*Sterna aurantia*), black-headed Ibis (*Treskiomis melanocephalus*), painted stork (*Myestertia leucocephala*), woolly necked stork (*Ciconia episcopus*) etc;

**AND WHEREAS**, the area has very high floral diversity represented by Southern Tropical Dry Deciduous Forests and the floral species present in the area include kachnar (*Bauhinia racemosa*), aonla (*Phyllanthus emblica*), ain (*Terminalia tomentosa*), Behada (*Terminalia bellerica*), bel (*Aegle marmelos*), bistendu (*Diospyros montana*), chironji (*Buchanania lanzan*), gular (*Ficus glomerata*), hirda (*Terminalia chebula*), kusum (*Schleichera oleosa*), lendia (*Lagerstroemia parviflora*), palas (*Butea frondosa*), salai (*Boswellia serrata*), shiwan (*Gmelina arborea*), surya (*Xylia xylocarpa*), tendu (*Diospyros malanoxylon*), tondri (*Casearia tomentosa*), warang (*Kydia calycina*), white kuda (*Holarrhena anthidysentrica*) etc;

**AND WHEREAS**, the Bor tiger reserve records 30 species of mammals, 26 species of reptiles and many species of amphibian and it also supports important endangered and vulnerable wildlife such as tiger (*Panthera tigris*), leopard (*Panthera pardus*), sloth bear (*Melursus ursinus*), wild dog (*Cuon alpines*), four horned-antelope (*Tetracerus quadricornis*), sambar deer (*Rusa unicolor*) etc;

**AND WHEREAS**, the extremely close vicinity of the above-mentioned Sanctuaries to human habitation and ongoing developmental activities, necessitate the requirement of proper safeguards and control over such activities;

**AND WHEREAS**, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Bor Tiger Reserve which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

**NOW, THEREFORE**, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of 0.5 kilometre to 26.50 kilometres around the boundary of Bor Tiger Reserve as Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

- 1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.**—(1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of **0.5 kilometre to 26.50 kilometre** around the boundary of Bor Tiger Reserve and the area of the Eco-sensitive zone is **678.14 square kilometres**.
  - (2) The extent and boundary description of the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-I**.
  - (3) Map of Eco-sensitive Zone of Bor Tiger Reserve along with geo-coordinates of prominent locations and land use pattern are appended as **Annexure-II A, Annexure-II B, Annexure-II C and Annexure-II D**.
  - (4) List of geo-coordinates of the boundary of Bor Tiger Reserve and its Eco-sensitive zone is appended as Table A and B of **Annexure-III**.
  - (5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone is given in **Annexure-IV**.
- 2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.** - (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent authority of State.
  - (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
  - (3) The buffer zone of the Bor Tiger Reserve shall form part of the Eco-sensitive Zone and the Tiger Conservation Plan shall also be taken into consideration during the preparation at the Zonal Master Plan.
  - (4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan, namely:-
    - (i) Forest and Wildlife;
    - (ii) Environment;
    - (iii) Agriculture;
    - (iv) Revenue;
    - (v) Urban Development;
    - (vi) Tourism;
    - (vii) Municipal;
    - (viii) Maharashtra State Pollution Control Board.
  - (5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(9) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(10) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

**3. Measures to be taken by the State Government.**-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

**(1) Land use.**— (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents, such as:-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

**(2) Natural water bodies.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

- (3) **Tourism or Eco-tourism.-** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
- (b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests.
- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
- (d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.
- (e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
- (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:
- Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;
- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;
- (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.
- (4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.-** Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.-** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and rules made thereunder or standards stipulated by the State Government whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes.-** Disposal and management of solid wastes shall be as under:-
- (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8<sup>th</sup> April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.



- (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.
- (10) **Bio-medical waste.** – Bio medical waste management shall be as under:
- (a) The Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number GSR 343 (E), dated the 28<sup>th</sup> March, 2016.
- (b) Safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
- (11) **Plastic waste management.** - The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.
- (12) **Construction and demolition waste management.** - The construction and demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.
- (13) **E-waste.** - The E-waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) **Vehicular traffic.** – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) **Vehicular pollution.** - Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuel.
- (16) **Industrial units.**– (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.
- (ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) **Protection of hill slopes.** - The protection of hill slopes shall be as under:-
- (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
- (b) construction shall not be permitted on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion.
- 4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act, and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
<b>A. Prohibited Activities</b>		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco-Sensitive Zone; b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 <sup>th</sup> August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 <sup>st</sup> April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that, non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substance.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Commercial use of firewood.	Prohibited.
9.	Commercial sign boards and hoardings.	Prohibited under applicable laws. Illuminated signboards and hoarding should be prohibited except within gaothans and towns.
10.	New Wood based industry.	Establishment of new wood based industry shall not be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided that the existing wood-based industry may continue unless prohibited under any law for the time being in force.
<b>B. Regulated Activities</b>		
11.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities:  Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone

		whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
12.	Construction activities.	<p>(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:</p> <p>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents:</p> <p>Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
13.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
14.	Felling of trees.	<p>a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.</p> <p>b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.</p>
15.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated under applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws of underground cabling may be promoted.
17.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Undertaking other activities related to tourism like over flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.

20.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
22.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
23.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per the applicable laws.
24.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
25.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
26.	Open Well, Bore Well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
27.	Solid Waste Management.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Introduction of Exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Use of polythene bags.	Use of polythene bags are permitted within the Eco-sensitive Zone: Provided that, based on specific requirement, it shall be regulated as per the applicable laws.
31.	Use of spotlight and floodlighting.	All existing and upcoming institutions or industries or eco-tourism facilities shall use ambient lighting in their premises so that the nocturnal wildlife does not get disturbed: Provided that in the case of emergency operations and during regular patrolling the Forest Department or Government agencies or institutions would be permitted to use spotlights.
<b>C. Promoted Activities</b>		
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
36.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
37.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.
38.	Plantation of horticulture and herbals.	Shall be actively promoted.
39.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
40.	Skill Development.	Shall be actively promoted.

41.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
42.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

**5. Monitoring Committee.** - For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely: -

S. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
1.	District Collector, Wardha	Chairman, ex-officio;
2.	Representative of District Collector, Nagpur	Member;
3.	A representative of Field Director, Bor Tiger Reserve	Member;
4.	A representative of Non-Governmental Organizations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Maharashtra	Member;
5.	Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board	Member,
6.	Senior Town Planner of the area	Member;
7.	A representative of the Department of Environment, Government of Maharashtra	Member;
8.	One Expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Maharashtra	Member;
9.	A representative of State Biodiversity Board	Member;
10.	Deputy Conservator of Forest, Nagpur	Member;
11.	Deputy Conservator of Forest, Wardha	Member-Secretary.

**6. Terms of Reference.** – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31<sup>st</sup> March of every year by the 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma given in Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

**7.Additional Measures.-** The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

**8.Supreme Court, etc. orders.** -The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/18/2020-ESZ]

DR. SATISH C GARKOTI, Scientist 'G'


### ANNEXURE-I

#### **BOUNDARY DESCRIPTION OF BOR TIGER RESERVE AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE**

- North :-** Boundary of Reserved Forest Compartment No. 146, 152, Village Boundary of Dhamkund, Protected Forest Compartment No. 122/2, Protected Forest Compartment No.180, Village Boundary of Pilapur, Pipari, Garpit, Protected Forest Compartment No. 132/3, Village Boundary of Linga Mandvi, Borgaon Chek-1 & 2, Protected Forest Compartment No. 126/4, Village Boundary of Sawal, Protected Forest Compartment No. 126/1, 164/3, 164/7, 164/1, Village Boundary of Ajandoh, Protected Forest Compartment No. 164/5, 164/4, Village Boundary of Kannamwargram, Protected Forest Compartment No. 165/2, Village Boundary of Jaurkheda, Protected Forest Compartment No. 161/1, 160/1, Village Boundary of Joga, Protected Forest Compartment No. 176/1, 177/1, Village Boundary of Dongargaon, Protected Forest Compartment No. 177/2, Village Boundary of Rahati, Protected Forest Compartment No. 178/6, Village Boundary of Nagazari, Protected Forest Compartment No. 179/4, Village Boundary of Masod, Protected Forest Compartment No. 70, Village Boundary of Kamthi, Bhopapur, Pusagondi, Protected Forest Compartment No. 86/4, Reserved Forest Compartment No. 37, 34, Village Boundary of Khairi-Amgaon, Gaurala, Gidamagad, Amgaon, Deoli (Kalabande), Digdoh, Reserved Forest Compartment No. 775, Village Boundary of Agargaon, Protected Forests Compartment No. 154/4, Reserved Forest Compartment No. 293, 291, 292, Protected Forest Compartment No. 168, 169/4.
- East :-** Reserved Forest Compartment No.299, 300, 302, 308, Protected Forest Compartment No.176/1, Village Boundary of Degma (Bu), Protected Forest Compartment No. 183/4, Protected Forest Compartment No. 187/1, 186, Village Boundary of Kanolibara, Protected Forest Compartment No. 187/10, 188/5, Protected Forest Compartment No. 189/4, Village Boundary of Ajangaon, Protected Forest Compartment No. 255/1, 255/2 Village Boundary of Somalgad, Protected Forest Compartment No. 256, Village Boundary of Khadki.
- South :-** Village Boundary of Amgaon, Kelzar, Protected Forest Compartment No. 254/2, Village Boundary of Wadgaon,, Protected Forest Compartment No.253,Village Boundary of Jungad, Protected Forest Compartment No. 252, 249/1,.248/1, 246/2, Village Boundary of Akoli, Junewani, Hingni, Protected Forest Compartment No. 240/1, Village Boundary of Dongargaon, Reserved Forests Compartment No. 239A, Protected Forest Compartment No.239/1, Protected Forest Compartment No 241, Village Boundary of Bid Borkhedi, Protected Forest Compartment No. 229, 228, 227/1, 227/2 Reserved Forests Compartment No. 220A, , Village Boundary of Tamaswada, Protected Forest Compartment No.220/1, 217/1, Village Boundary of Madni, Protected Forest Compartment No. 204, 204/1, 203, Village Boundary of Madna, Theka-Sawad, Protected Forest Compartment No.205, 201, 201/1, Protected Forest Compartment No 197/1, Village Boundary of Saheli, Protected Forest Compartment 196/3, 196/2, 196/1, Protected Forest Compartment No 185/2, 184, 185/1 Protected Forest Compartment No 186, Village Boundary of Ladgadh, Protected Forest Compartment No 189/5, 189/6, 189/7, Protected Forest Compartment No 229, Village Boundary of Wanarkund, Protected Forest Compartment No 198/1, Protected Forest Compartment No 191, Village Boundary of Kachnur, Village Boundary of Morangna. Protected Forest Compartment No 192/9.
- West :-** Village Boundary of Talegaon, Nanhi, Chandni, Bothali, Pimpalkhuta, Gundmund, Mahadapur, Khairwada, Bramhanwada, Protected Forest Compartment No. 139/1, 139/2, Reserved Forests Compartment No. 173, Village Boundary of Panjaragondi, Protected Forest Compartment No. 138, Protected Forest Compartment No. 136, Village Boundary of Belara, Protected Forest Compartment No. 135, 134.


**ANNEXURE-II A**

**MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND BOR TIGER RESERVE ALONG WITH GEOCODINATES OF PROMINENT LOCATIONS**



**ANNEXURE-II B**


**GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND BOR TIGER RESERVE**






**ANNEXURE-II C**

**SATELLITE IMAGERY OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND BOR TIGER RESERVE**



**ANNEXURE-II D**

**MAPS OF VILLAGES FALLING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF BOR TIGER RESERVE**



**ANNEXURE - III**

**TABLE A: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS ALONG THE BOUNDARY OF BOR TIGER RESERVE**

SR.NO	LONGITUDE	LATITUDE
A)	78° 36' 04.361" N	21° 03' 12.340" E
B)	78° 37' 28.593" N	21° 02' 23.123" E
C)	78° 38' 47.809" N	21° 01' 21.641" E
D)	78° 40' 24.591" N	21° 00' 46.362" E
E)	78° 42' 44.463" N	21° 00' 47.882" E
F)	78° 43' 40.749" N	21° 00' 11.235" E
G)	78° 45' 17.814" N	21° 00' 58.679" E
H)	78° 46' 21.865" N	20° 58' 57.148" E
D)	78° 47' 09.132" N	20° 58' 20.469" E
J)	78° 47' 01.5816" N	20° 57' 15.849" E

K)	78° 45' 28.024" N	20° 57' 43.594" E
L)	78° 45' 12.496" N	20° 55' 35.617" E
M)	78° 44' 07.197" N	20° 55' 44.356" E
N)	78° 43' 56.3071" N	20° 57' 41.346" E
O)	78° 41' 52.717" N	20° 57' 15.802" E
P)	78° 40' 16.030" N	20° 57' 15.802" E
Q)	78°39'31.987" N	20° 57' 20.182" E
R)	78°38' 02.491" N	20° 57' 31.820" E
S)	78°36' 15.597" N	20° 56' 50.620" E
T)	78°35' 32.875" N	20° 56' 54.743" E
U)	78°34' 33.823" N	20° 57' 51.185" E
V)	78°34' 54.324" N	20° 58' 56.267" E
W)	78°34' 05.504" N	21°00' 06.076" E
X)	78°35' 28.539" N	21°01' 26.684" E
Y)	78°34' 45.603" N	21°02' 39.636" E
Z)	78°35' 15.208" N	21°03' 10.957" E

**TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS ALONG THE BOUNDARY OF ECO-SENSITIVE ZONE OF BOR TIGER RESERVE**

SR.NO	LONGITUDE	LATITUDE
1.	78°28' 24.993" N	21°06' 07.279" E
2.	78°29' 24.993" N	21°04' 23.561" E
3.	78°32' 01.156" N	21°06' 24.493" E
4.	78°34' 19.626" N	21°05' 55.931" E
5.	78°34' 37.474" N	21°04' 11.461" E
6.	78°37' 51.280" N	21°03' 25.673" E
7.	78°40' 06.720" N	21°04' 57.377" E
8.	78°41' 44.468" N	21°02' 14.769" E
9.	78°44' 55.240" N	21°04' 03.609" E
10.	78°46' 10.296" N	21°02' 20.178" E
11.	78°49' 36.111" N	21°02' 20.499" E
12.	78°52' 34.773" N	21°00' 47.461" E
13.	78°52' 35.295" N	20°59' 19.702" E
14.	78°50' 52.361" N	20°58' 28.310" E
15.	78°49' 02.780" N	20°56' 46.430" E
16.	78°46' 10.861" N	20°56' 21.517" E
17.	78°49' 37.499" N	20°55' 16.458" E
18.	78°51' 07.296" N	20°53' 21.933" E
19.	78°49' 34.466" N	20°50' 43.709" E
20.	78°47' 30.902" N	20°53' 21.933" E
21.	78°44' 01.969" N	20°55' 10.384" E

22.	78 <sup>0</sup> 42' 22.402" N	20 <sup>0</sup> 55' 13.177" E
23.	78 <sup>0</sup> 39' 43.004" N	20 <sup>0</sup> 55' 39.065" E
24.	78 <sup>0</sup> 36' 56.195" N	20 <sup>0</sup> 54' 27.767" E
25.	78 <sup>0</sup> 34' 18.626" N	20 <sup>0</sup> 51' 22.359" E
26.	78 <sup>0</sup> 31' 50.031" N	20 <sup>0</sup> 54' 57.407" E
27.	78 <sup>0</sup> 30' 05.434" N	20 <sup>0</sup> 00' 15.943" E
28.	78 <sup>0</sup> 27' 12.259" N	20 <sup>0</sup> 54' 58.692" E
29.	78 <sup>0</sup> 23' 29.015" N	20 <sup>0</sup> 56' 42.769" E
30.	78 <sup>0</sup> 24' 51.501" N	20 <sup>0</sup> 59' 07.160" E
31.	78 <sup>0</sup> 24' 11.501" N	20 <sup>0</sup> 05' 04.703" E
32.	78 <sup>0</sup> 22' 42.128" N	21 <sup>0</sup> 02' 06.802" E
33.	78 <sup>0</sup> 20' 29.513" N	20 <sup>0</sup> 03' 43.367" E
34.	78 <sup>0</sup> 21' 30.759" N	21 <sup>0</sup> 04' 06.632" E
35.	78 <sup>0</sup> 24' 21.712" N	20 <sup>0</sup> 04' 20.929" E
36.	78 <sup>0</sup> 25' 36.851" N	21 <sup>0</sup> 05' 17.651" E

**ANNEXURE- IV****GEO-COORDINATES OF PROMINENT BOUNDARIES OF VILLAGES FALLING IN THE ECO-SENSITIVE ZONE**

Sr.No	Name Of Division	Name Of Range	Name Of Village	Latitude	Longitude
I	Wardha	Kharangna	Tulana	N-78 29 21.697	E-21 04 11.309
II		Karanja	Bangadpur	N-78 30 48.693	E-21 03 07.564
III			Bhiwapur	N-78 30 57.190	E-21 04 03.443
IV			Raipur	N-78 32 02.910	E-21 04 00.136
V			Ambhora	N-78 32 29.117	E-21 03 04.353
VI			Sindhivihiri	N-78 33 13.447	E-21 02 16.864
VII			Budhlagad	N-78 34 00.863	E-21 03 01.103
VIII			YeniDodaka	N-78 34 23.948	E-21 02 04.044
IX			Dhanoli	N-78 36 30.536	E-21 03 36.624
X			Umarvihiri	N-78 36 19.766	E-21 02 38.168
XI			Kurha	N-78 37 27.784	E-21 03 42.323
XII			Methirji	N-78 38 16.312	E-21 02 29.118
XIII			Hingani	Garamsur	N-78 39 48.826
XIV		Vanarvihira		N-78 36 18.347	E-21 02 36.044
XV		Bori		N-78 42 42.736	E-20 56 43.064
XVI		Gohadakala		N-78 41 58.987	E-20 55 55.068
XVII		Gohadakhurd		N-78 41 26.572	E-20 57 09.924
XVIII		Salaipewath		N-78 40 45.401	E-20 56 30.034

XIX			Sondi	N-78 39 47.594	E-20 56 38.619	
XX			Salaikala	N-78 38 36.738	E-20 56 28.791	
XXI			Dodki	N-78 37 42.513	E-20 56 21.328	
XXII			Amgaon	N-78 36 42.999	E-20 56 42.14	
XXIII			Raipur Jungli	N-78 35 56.513	E-21 55 55.935	
XXIV			MalegaonTheka	N-78 34 38.080	E-20 57 06.913	
XXV		Kharangna	Bramhanwada	N-78 32 57.581	E-20 56 27.624	
XXVI			Khapri	N-78 31 03.421	E-20 57 27.822	
XXVII			Borgaon Gondi	N-78 33 41.943	E-20 57 48.032	
XXVIII			Susund	N-78 32 33.719	E-20 58 14.617	
XXIX		Karanja	Maraksur	N-78 33 59.767	E-21 00 48.441	
XXX		Kharangna	Dhaga	N-78 28 23.794	E-21 02 26.405	
XXXI		Nagpur	Hingna	Kinkighoda	N-78 39 43.895	E-21 04 34.162
XXXII				Pratapgad	N-78 39 32.320	E-21 03 48.603
XXXIII				Dhotiwada	N-78 39 46.419	E-21 02 33.263
XXXIV	Khapa			N-78 41 01.776	E-21 02 53.356	
XXXV	Gothangaon			N-78 42 20.307	E-21 01 38.549	
XXXVI	Adegaon			N-78 44 30.529	E-21 00 48.111	
XXXVII	Khapa Khurd			N-78 45 32.390	E-21 01 51.514	
XXXVIII	Khapa Nipani			N-78 45 32.390	E-21 01 51.514	
XXXIX	Khapa Khori			N-78 44 03.311	E-21 03 06.671	
XL	Mohgaon (Dhole)			N-78 46 05.311	E-21 01 20.418	
XLI	Yerangaon			N-78 48 52.820	E-21 02 42.415	
XLII	Degma khurd			N-78 50 50.265	E-21 01 48.402	
XLIII	Kawadas			N-78 48 40.217	E-21 01 01.445	
XLIV	Dhanoli			N-78 36 30.536	E-21 03 36.624	
XLV	Nawegaon			N-78 47 55.861	E-21 59 15.302	
XLVI	Kokardi			N-78 50 28.938	E-21 58 58.352	
XLVII	Yetewahi			N-78 49 09.196	E-21 58 04.884	
XLVIII	Kajali			N-78 48 16.781	E-21 57 21.705	
XLIX	Pendhari			N-78 46 55.188	E-21 57 06.548	
L	Nagpur			Hingna	Deoli	N-78 47 23.219
LI		Sawali	N-78 49 42.581		E-21 54 45.740	
LII		Alesur	N-78 49 19.178		E-21 54 09.147	
LIII		Bibi	N-78 49 05.128		E-21 54 16.272	
LIV		Chauki	N-78 47 30.070		E-21 54 56.606	

**ANNEXURE - V****Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee. -**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (Mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinized for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986:
8. Any other matter of importance: